

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 16 अक्तूबर, 2017/24 आश्विन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अक्तूवर, 2017

संख्याः गृह(ए)बी(1)—12/2014.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007(2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश सरकार "निर्वाचन विभाग"

अधिसूचना

दिनांक- शिमला-171009

<u>16 अक्तूबर, 2017.</u> 24 आश्विन, 1939 (शक)

संख्याः 3—34/2017—ई0एल0एन0.——यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, दिनांक 07 जनवरी, 2018 सिहत और उस तारीख तक चालू रहेगी, तथा उसके पश्चात् इसकी अविध समाप्त होने पर विघटित हो जाएगी ; तथा

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों के अनुसार, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से एक साधारण निर्वाचन कराया जाना है ;

अतः, अब, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल एतद्द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाएं।

राज्यपाल के नाम और उनके आदेश से,

वी0सी0 फारका मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

# GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

#### **ELECTION DEPARTMENT**

**NOTIFICATION** 

Dated: Shimla-171009

16<sup>th</sup> October, 2017 24 Asvina, 1939 Saka

**No. 3-34/2017-ELN.**—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 7<sup>th</sup> January, 2018, and shall thereafter stand dissolved on the expiration of its duration; and

Whereas, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a general election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State;

**Now**, **therefore**, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the Governor of the State of Himachal Pradesh, is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of Governor,

V. C. PHARKA

Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- शिमला-171009

16 अक्तूबर, 2017. 24 आश्विन, 1939 (शक्)

संख्या 3—34/2017—ई.एल.एन.—3759.——भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 464/हि0प्र0—वि0स0/2017, दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 तदानुसार 24 आश्विन, 1939 (शक), जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप धारा (2) और धारा 30 और 56 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी की है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

आदेश से

पुष्पेन्द्र राजपूत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

# भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

# अधिसूचना

दिनांक : 16 अक्तूबर, 2017. 24 आश्विन, 1939 (शक)

सं0: 464 / हि0प्र0-वि०स0 / 2017.—यतः हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप—धारा (2) के अधीन जारी तथा 16 अक्तूबर, 2017 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाएं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा—

(अ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:--

i नाम-निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख : 23 अक्तूबर, 2017 (सोमवार)

ii नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख : 24 अक्तूबर, 2017 (मंगलवार)

iii अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : 26 अक्तूबर, 2017 (गुरूवार)

iv वह तारीख, जिस दिन यदि : 09 नवम्बर, 2017 (गुरूवार) आवश्यक हो, तो मतदान होगा।

v वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन : 20 दिसम्बर, 2017 (बुधवार), और सम्पन्न करा लिया जाएगा।

(आ) 08.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से.

**राहुल शर्मा,** सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

### ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

#### **NOTIFICATION**

Dated: 16th October, 2017. 24 Asvina, 1939 SAKA

**No. 464/HP-LA/2017.—Whereas,** the Governor of the State of Himachal Pradesh has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official gazette of the State on the 16th October, 2017, been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

**Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election in each of the constituencies,
  - i. the **23rd October**, **2017** (**Monday**), as the last date for making nominations;
  - ii. the **24th October**, **2017 (Tuesday)**, as the date for the scrutiny of nominations;
  - iii. the **26th October**, **2017** (**Thursday**), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - iv. the **9th November**, **2017** (**Thursday**), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - v. the **20th December**, **2017** (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) **fixes the hours** from 8.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

RAHUL SHARMA, SECRETARY TO THE ELECTION COMMISSION OF INDIA.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

किरम मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी

1. टेक चन्द पुत्र कृपा राम पुत्र रिझू, निवासी घडोपुरा, मौजा कनेड़, तहसील घर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)